निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1946 (श0)

(सं0 पटना 652) पटना, सोमवार, 22 जुलाई 2024

परिवहन विभाग

अधिसूचना

20 जुलाई 2024

सं० 02/कर–शुल्क–02/2024, परि0–9185––बिहार मोटरवाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2016–सहपठित–बिहार मोटरवाहन करारोपण (यथा संशोधित) अधिनियम, 1994 की धारा–6(घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी एवं निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले वैसे पदाधिकारी/कर्मचारी, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण होते हैं, जिसके फलस्वरुप उनके निजी वाहन के स्थानांतरण में होने वाले कठिनाईयों को देखते हुए केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम, 47, 48, 50, 51 एवं 54 में संशोधन करते हुए लागू किये गये BH-Series हेतु बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–7(1)–सह–पठित बिहार वित्त अधिनियम, 2013 की धारा–9 के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना सं0–5786, दिनांक–07.12.2018 की अनुसूची–1 भाग(क) की विवरणी के पश्चात् अंकित ''नोट'' को निम्नरुप से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

''**नोट**–वाहनों के BH-Series रजिस्ट्रीकरण चिन्ह् के आवंटन के मामले में केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम–51ख के अनुरुप दो वर्षो हेतु प्रावधानित मोटरवाहन कर के अनुसार दो वर्षों के गुणज में (2X7) 14 वर्षों के लिए मोटरवाहन कर एक साथ वाहन के निबंधन के समय उद्ग्रहित किया जायेगा। पूर्व से BH Series के अन्तर्गत निबंधित वाहन, जिन्होंने मात्र दो वर्ष का कर जमा किया है, उन्हें 60 दिन का समय दिया जायेगा, जो बकाया 12 वर्ष का कर जमा करेंगे अन्यथा नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

2. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से 05 कार्य दिवस के पश्चात् प्रभावी होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

UNCOMPLYCATE
simplifying compliance

The 20th July 2024

No. 02/Tax-Fee-02/2024, Trans.- 9185--Considering the difficulties faced by the officers/employees of the Government sector and Private sector, who are transferred from one state to another state and face difficulties in transfer of their private vehicle, the BH-Series has been introduced under the rule-47, 48, 50, 51 & 54 of Central Motor Vehicle Rules, 1989, exercising the powers conferred by section-6 (d) of Bihar Motor Vehicles Taxation (as amended) Act, 1994 read with Bihar Motor Vehicles Taxation (amendment) Act, 2016, after the detail of schedule-1 part (A) of notification no.-5786, dated-07.12.2018 issued under section-9 of the Bihar Finance Act, 2013 read with section 7 (1) of Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994, written"Note" is being substituted as follows :-

"Note- In case of registration of vehicles in BH-Series, the motor vehicle tax provisioned for 2 years or in multiple of 2 years shall be levied for 14 years (2X7). Those vehicles which is registered under BH Series by paying tax of two year only, those vehicles will have to pay the tax of rest 12 years within 60 days otherwise penalty will be imposed as per law."

2. This notification shall come into effect after 05 working days from the date of its publication in Bihar Gazette.

By order of the Governor of Bihar,
Sanjay Kumar Agarwal,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 652-571+10-डी0टी0पी0 ।
Website: http://egazette.bih.nic.in

UNCOMPLYCATE
Simplifying Compliance